भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 942
दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केन्द्र

942. श्री जयंत सिन्हाः
श्रीमती प्रमिला बिसाईः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तारीख के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों की कुल राज्य-वार संख्या और अलग रसोई वाले आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) वर्ष 2017-2018 के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों की उपस्थिति की दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार शासन द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के हिस्से के रूप में बाल शिक्षा केंद्रों को अनिवार्य करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ङ) देश में शौचालय में पर्याप्त पानी की सुविधा के अभाव वाले आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है; और
(च) मनरेगा के साथ समन्वय के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और 2019-2020 के बजट में राज्य-वार क्या वित्तीय प्रावधान किये गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : आज की तिथि को 13,99,697 संस्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में से 13,77,595 एडब्ल्यूसी देश भर में कार्यरत हैं। अलग रसोई सुविधा वाले एडबल्यूसी का विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। संस्वीकृत और कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक । में दिया गया है।

(ख) : वर्ष 2017-18 में आंगनवाड़ी केंद्रों में जाने वाले और स्कीम का फायदा उठाने वाले बच्चों की संख्या का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक ।। में दिया गया है।

(ग) : प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) आंगनवाड़ी सेवाओं के भाग के रूप में आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों (3-6 वर्ष) को प्रदान की जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा है।

(घ) : किराए के परिसरों से संचालित होने वाले एडब्ल्यूसी की राज्य-वार संख्या अनुलग्नक । में दी गई है।

(ड़) : कुल कार्यरत एडब्ल्यूसी में से, 10,14,655 एडब्ल्यूसी में शौचालय सुविधाएं हैं। शौचालयों में पानी की उपलब्धता से संबंधित डाटा मंत्रालय के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(च) : मनरेगा के साथ अभिसरण के तहत, 2015-16 के दौरान 29,941 एडब्ल्यूसी भवनों के निर्माण और 2016-17 के दौरान 81,447 एडबलयूसी भवनों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि निर्मुक्त की गई। एपीआईपी 2019-20 में 58,670 एडबल्यूसी भवनों के निर्माण के लिए 735.75 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। 2019-20 के लिए किया गया राज्य-वार बजटीय प्रावधान अनुलग्नक ।।। में दिया गया है।

*****

<u>अनुलग्नक- I</u>

'आंगनवाड़ी केन्द्र' विषय के बारे में श्री जयंत सिन्हा और श्रीमती प्रमिला बिसाई द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 942 के उत्तर के भाग (क) और (घ) में संदर्भित विवरण

आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत संस्वीकृत और कार्यरत एडब्ल्यूसी, किराए के परिसरों में संचालित एडब्ल्यूसी और शौचालय सुविधाओं स

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत एडब्ल्यूसी	कार्यरत एडब्ल्यूसी	किराए के परिसरों में संचालित एडब्ल्यूसी	शौचालय सुविधाओं सहित एडब्ल्यूसी
1	आंध्र प्रदेश	55607	55607	26661	54643
2	तेलंगाना	35700	35634	12681	19201
3	अरुणाचल प्रदेश	6225	6225	226	3043
4	असम	62153	62153	11667	29356
5	बिहार	115009	104090	61008	65913
6	छत्तीसगढ़	52474	51301	10722	35858
7	गोवा	1262	1262	756	788
8	गुजरात	53029	53029	6973	50545
9	हरियाणा	25962	25962	6612	23384
10	हिमाचल प्रदेश	18925	18925	9381	18925
11	जम्मू और कश्मीर	31938	29599	28497	17021
12	झारखंड	38432	38432	13727	28317
13	कर्नाटक	65911	65911	11839	53896
14	केरल	33318	33244	8312	31792
15	मध्य प्रदेश	97135	97135	28705	89503
16	महाराष्ट्र	110486	110219	30570	59285
17	मणिपुर	11510	11510	8271	9505
18	मेघालय	5896	5896	600	4302
19	मिजोरम	2244	2244	29	2193
20	नागालैंड	3980	3980	770	3455
21	ओडिशा	74154	72587	15480	38211
22	पंजाब	27314	27289	3223	22081
23	राजस्थान	62010	61974	10491	34656
24	सिक्किम	1308	1308	238	1294
25	तमिलनाडु	54439	54439	7232	47652
26	त्रिपुरा	10145	9911	290	8067
27	उत्तर प्रदेश	190145	187997	22892	134908
28	उत्तराखंड	20067	20067	7614	14720
29	पश्चिम बंगाल	119481	116227	20349	99196
30	अंडमान व निकोबार द्वीप	720	720	223	571
31	चंडीगढ़ *	450	450	292	450
32	दिल्ली *	10897	10897	10694	10707
33	दादर व नागर हवेली	302	302	145	302
34	दमन और दीव	107	107	17	101
35	लक्षद्वीप	107	107	80	107
36	पुद्दुचेरी	855	855	445	707
	कुल	***13,99,697**	**13,77,595**	**3,77,712**	10,14,655

(30.6.2019 तक)

*संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा क्रमश: 50 एडब्ल्यूसी और 253 एडब्ल्यूसी का अभ्यर्पण किया गया है।

अनुलग्नक-II

'आंगनवाड़ी केन्द्र' विषय के बारे में श्री जयंत सिन्हा और श्रीमती प्रमिला बिसाई द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 942 के उत्तर के भाग (क) और (घ) में संदर्भित विवरण

एसएनपी और पीएसई के लिए लाभार्थियों की राज्यवार संख्या (3- 6 वर्ष)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूरक पोषण के लाभार्थी (3 - 6 वर्ष)	प्री-स्कूल शिक्षा के लाभार्थी (3 – 6 वर्ष)
1	आंध्र प्रदेश	868499	864685
2	तेलंगाना	526670	665194
3	अरुणाचल प्रदेश	96623	96623
4	असम	1888756	1888756
5	बिहार	2460202	2681885
6	छत्तीसगढ़	854260	854260
7	गोवा	19690	19690
8	गुजरात	1407503	1443193
9	हरियाणा	291598	291548
10	हिमाचल प्रदेश	179368	128168
11	जम्मू और कश्मीर	409739	439005
12	झारखंड	927553	1234533
13	कर्नाटक	1688891	1518127
14	केरल	386035	386035
15	मध्य प्रदेश	3237804	3696416
16	महाराष्ट्र	2649382	2552687
17	मणिपुर	177583	177583
18	मेघालय	259978	218986
19	मिजोरम	82939	56334
20	नागालैंड	145360	144241
21	ओडिशा	2047340	2047340
22	पंजाब	275650	275968
23	राजस्थान	977381	967701
24	सिक्किम	12500	12500
25	तमिलनाडु	650930	632304
26	त्रिपुरा	189854	189854
27	उत्तर प्रदेश	5378063	5852814
28	उत्तराखंड	181172	181925
29	पश्चिम बंगाल	2982160	2889710
30	अंडमान व निकोबार द्वीप	2791	2791
31	चंडीगढ़	25809	25809
32	दिल्ली	138690	139298
33	दादर और नागर हवेली	10475	10475
34	दमन और दीव	2388	2388
35	लक्षद्वीप	843	843
36	पुद्दुचेरी	2203	2197
अखिल भारतीय		**3,14,36,682**	**3,25,91,866**

अनुलग्नक-**III**

'आंगनवाड़ी केन्द्र' विषय के बारे में श्री जयंत सिन्हा और श्रीमती प्रमिला बिसाई द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 942 के उत्तर के भाग (क) और (घ) में संदर्भित विवरण

2019-20 के दौरान मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस के तहत एडब्ल्यूसी भवनों के निर्माण के लिए किए गए एडब्ल्यूसी की संख्या और बजट प्रावधान का राज्य-वार विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एडब्ल्यूसी निर्माण के लिए प्रस्तावित भवनों की सं.	बजट प्रावधान (जीओआई शेयर**)**
1	आंध्र प्रदेश	6000	72.00
2	बिहार	1000	12.00
3	छत्तीसगढ	2000	24.00
4	गोवा	100	1.20
5	गुजरात	2000	24.00
6	हरियाणा	500	6.00
7	कर्नाटक	1000	12.00
8	केरल	1000	12.00
9	मध्य प्रदेश	10000	120.00
10	महाराष्ट्र	250	3.00
11	ओडिशा	6036	72.43
12	पंजाब	15000	180.00
13	तेलंगाना	2000	24.00
14	उत्तर प्रदेश	500	6.00
15	पश्चिम बंगाल	6000	72.00
16	पुदुचेरी	23	0.28
17	हिमाचल प्रदेश	90	1.62
18	जम्मू और कश्मीर	500	9.00
19	उत्तराखंड	1401	25.22
20	अंडमान और निकोबार	50	1.00
21	दादर व नागर हवेली	20	0.40
22	असम	1500	27.00
23	मणिपुर	1000	18.00
24	मेघालय	600	10.80
25	त्रिपुरा	100	1.80
कुल		**58,670**	**735.75**